

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021—चैत्र 13, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5134-175-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अप्रैल, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव,

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०२१

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम , २०२१

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. धारा ४८-क का संशोधन.
३. धारा ४९ का संशोधन.
४. धारा ५२ का संशोधन.
५. धारा ५३ का संशोधन.
६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०२१

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२१

[दिनांक २ अप्रैल २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३ अप्रैल २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गईं.]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४८-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४८-क में, उपधारा (४) में,—

- (एक) खण्ड (क) में, शब्द "संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या "
का लोप किया जाए.
(दो) खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

धारा ४९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (७-क) में, खण्ड (ख) में, प्रथम परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;
(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;
(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि."

धारा ५२ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (५) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) सहकारी साख संरचना में राज्य सरकार की अंश पूंजी के लिये अधिकतम सीमा ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए."

५. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, —

धारा ५३ संशोधन.

(एक) उपधारा (१) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.”

(दो) उपधारा (१२) में, प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.”

६. (१) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक १२ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात, या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2021

क्रमांक 5134-175-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 of 2021

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2021

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 48-A.
3. Amendment of Section 49.
4. Amendment of Section 52
5. Amendment of Section 53.
6. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 of 2021

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2021

[Received the assent of the Governor on the 2nd April, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd April, 2021.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 48-A.

2. In Section 48-A of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960, (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (4),-

(i) in clause (a), the words "elected as a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or" shall be omitted.

(ii) clause (b) shall be omitted.

Amendment of Section 49.

3. In Section 49 of the principal Act, in sub-section (7-a), in clause (b), in the first proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that, in case of any Apex or Central Society, if in the opinion of the Registrar, a committee is required to be constituted to assist the Administrator in the discharge of his duties, the Registrar may appoint a committee consisting of following members, namely :—

- (a) a maximum of three members of the said society who are eligible to be elected as a member of the Board of Directors of the society;
- (b) one representative of the Registrar;
- (c) one representative of the financing institutions."

4. In Section 52 of the principal Act, in sub-section (5), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 52.

- "(a) in the Co-operative Credit Structure, the maximum limit for the share capital of the State Government shall be such as may be notified by the State Government, from time to time;".

5. In Section 53 of the principal Act,—

Amendment of Section 53.

- (i) in sub-section (1), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that, in case of any Apex or Central Society, if in the opinion of the Registrar, a committee is required to be constituted to assist the Administrator in the discharge of his duties, the Registrar may appoint a committee consisting of following members, namely :—

- (a) a maximum of three members of the said society who are eligible to be elected as a member of the Board of Directors of the society;
- (b) one representative of the Registrar;
- (c) one representative of the financing institutions;".

- (ii) in sub-section (12), in the proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that, in case of any Apex or Central Society, if in the opinion of the Registrar, a committee is required to be constituted to assist the Administrator in the discharge of his duties, the Registrar may appoint a committee consisting of following members; namely :—

- (a) a maximum of three members of the said society who are eligible to be elected as a member of the Board of Directors of the society;
- (b) one representative of the Registrar;
- (c) one representative of the financing institutions."

6. (1) The Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2021 (No. 12 of 2021) is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.